



उत्तरांचल UTTARANCHAL

प्राकृत 26

00AA 335786

(नियम 4 देखिये)

श्राद्धार्थ

कथन गति:- श्री विपिनचंद्र ठस 67 वर्ष पुत्र गोपराज, ग्राम कलेही,
पोस्ट खिरखेत, तहसील रानीखेत, जिला कलमेडा.

नोट:- शपथी प्राकृत संलग्न है।



(Handwritten signature)

प्रारूप-26
(नियम 4 क देखिए)

58 चलीकेत निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, विधानलाल पुत्र/पुत्री/पत्नी गोपबन्धु
आयु 67 वर्ष, जो ग्राम मालोडी पोस्ट विधान क्षेत्र मन्डली का/की निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित
किया गया है/किए गए हैं। नहीं

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी
प्रस्तुत करेगा/करेगी): नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त
विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई
है/हैं नहीं

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8
की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध
(अपराधों) से गिन् के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक
के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। नहीं

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है नहीं

(7)

Amr



(iii) पुलिस थाना (थाने) नदी जिला (जिले) नदी राज्य

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्था कमी आरोपित किया गया है) नदी

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे नदी

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है नदी

स्थान: रानीखेत
तारीख: 10-01-2012


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



सत्यापन


मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की, अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

रानीखेत स्थान पर आज तारीख 10-01-2012 को सत्यापित किया।


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।

the Deponent, Shri. Kishan Lal
Mo. Gopal Ram & Will. Shalori
Panch. Chit. Khet. Pan. Ranikhet Distt. Almora
that the Contents of this Affidavit are
True with have been read and approved by
the Deponent, Shri. Kishan Lal
Shri. G. B. Singh, Panch. Khet. Ranikhet
at Ranikhet.


Mahendra Singh Adhikar
NOTARY HQ Tehsil
RANIKHET (Almora)
11/1/12